

39
2021

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) शाहपुरा जिला-जयपुर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प
"न्याय आपके द्वार-2016" ~~अंतरातर~~

160
8-10-21

आदेश

प्रकारम जांचा किसेग करिक्तक-21

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व भू.अ.नि.
..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार
..... की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा
136 के अनुसरण में ग्राम ~~पहानिकावात~~ तहसील ~~साहपुरा~~ व जिला ~~जयपुर~~
की जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में खाता संख्या 105 में वर्तमान में दर्ज
प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	पहानिकावात	105	पंचू पुत्र सुवालाल	पंचू उर्फ पंचूराम पुत्र सुवालाल कि.स. 5.50 रु. 00 पुर शुद्धि 2074-77

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालतारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर,
शाहपुरा (जयपुर)
दिनांक :- 8-10-21

क्रमांक :- 161-162

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार ~~साहपुरा~~ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर फलना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ~~पंचू उर्फ पंचूराम पुत्र सुवालाल~~ को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

240
8-10-21
AOK

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर,
शाहपुरा (जयपुर)